कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–2021001, दिनांक 16 मई, 2020

पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/ ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना/2019–2020/04/वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: मई 16 , 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– शासनादेश संख्या–304/11–2–2020–9(21)/2003 दिनांक 27 फरवरी, 2020 द्वारा जारी उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 (VAT) एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 में दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजनाकी समयावधि को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–484/ग्यारह–2–2020–9(21)/2003, दिनांक 16 मई, 2020 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त शासनादेश के द्वारा बढ़ायी गयी समयावधि के अन्तर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए व्यापारी वर्ग एवं व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को शासनादेश सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराते हुए एवं मुख्य स्थानों जैसे स्वयं के कार्यालय, जिलाधिकारी, आयकर विभाग, मण्डी परिषद, रेलवे, मुख्य बाजारों एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय आदि के सामने योजना के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना/होडिंग लगाने की व्यवस्था करें। समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रिानिक माध्यमों से अधिकाधिक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। व्यापारियों को योजना के अन्तर्गत सहभागिता हेतु प्रेरित करने का भी कार्य किया जाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु कार्ययोजना/कार्य वितरण के निर्देश पत्र संख्या–1581/1920091, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा पूर्व में ही जारी किया गया है, तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

योजना आनलाईन व्यवस्था में ही व्यवहरित होनी है, जिसके लिए पूर्व में व्यापारियों की लागिंन एवं प्रयोग की विधि से इस कार्यालय के पत्र संख्या–1695/1920094, दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा फील्ड के समस्त अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, जो पूर्ववत् ही रहेगी।

पूर्व की भॉति योजना के अनुरूप बकायेदारों को लाभ यथासम्भव मिल सके, के लिए आवश्यक है कि अभिलेखों का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाए। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी हेतु जारी किये जा रहे नो–ड्यूज प्रमाण पत्र

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्षवार जारी किया जाना है। यह सम्पूर्ण योजना आनलाईन व्यवहरित होनी है। अतः विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही अनुश्रवण किया जाएगा।

पुनः आप से यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना का साप्ताहिक अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए जमा धनराशि व माफ किये गये ब्याज व अर्थदण्ड आदि की सूचना विभागीय पोर्टल पर अंकन कराना सुनिश्चित करें, जिससे साप्ताहिक रूप से प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, राज्य कर, अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट/मुख्यालय) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
8. महालेखाकार, 171ए, अशोक नगर, प्रयागराज ।
9. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु।

ज्वाइंट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर
मुख्यालय,लखनऊ।

संख्या-484/ग्यारह-2-2020-9(21)/2003

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 16 मई,2020

विषयः- विषयःशासनादेश संख्या-304/11-2-2020-9(21)/2003 दिनांक 27 फरवरी, 2020 द्वारा जारी उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (वैट) एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 में दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड की माफी योजना की समयावधि को बढ़ाया जाना।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-वि0व0संग्रह/2019-20/1712/वाणिज्य कर दिनांक 24.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 304/11-2-2020-

Scanned with CamScanner

9(21)/2003 दिनांक 27 फरवरी , 2020 द्वारा निर्गत ब्याज/अर्थदण्ड माफी की योजना के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निहित शर्त संख्या- 2 कि "यह योजना प्रश्नगत ब्याज/अर्थदण्ड की माफी योजना का शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक अवधि के लिये प्रभावी रहेगी" तथा प्रस्तर-2 की शर्त संख्या 13- कि "योजना में मूल धनराशि एवं ब्याज को दिनांक 31.03.2020 तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी" को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

"2. यह योजना प्रश्नगत ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना का शासनादेश जारी होने के दिनांक अर्थात 27 फरवरी, 2020 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी;

13.योजना में मूल धनराशि एवं ब्याज को दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक एक मुश्त जमा करने पर ब्याज की न माफ की जाने वाली धनराशि पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी;

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत शासनादेश के अन्य समस्त प्रावधान यथावत् रहेंगे।"

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव,

Scanned with CamScanner